N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0275 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 17/10/2025 20:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 18/09/2025 Date To (दिनांक तक): 15/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 14:30 बजे Time To (समय तक): 10:32 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/10/2025 Time (समय): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 17/10/2025 20:24:55 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 105 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABI

(b)Address(पता): UP TEHASIL KHATOLI, TEHASIL PEEPADA JILA KOTA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DILIP KUMAR TIWARI

(b) Father's Name (पिता का नाम): DAYANAND

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1969 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B 64, HANUMAN NAGAR VAISHALI NAGAR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B 64, HANUMAN NAGAR VAISHALI NAGAR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRADHAN CHAUDHARY		पिता:KALURAM CHAUDHARY	1. KHARBASO KI DHANEE,NIMEDA,BHANKROTA ,JAIPUR

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		45,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 45,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है कि दिनांक 18.09.2025 समयः-02.30 पीएम.पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री स्वः श्री दयानन्द तिवारी जाति ब्राहमण उम्र 56 साल निवासी बी-64 हनुमान नगर वैशाली नगर जयपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया कि "मैं दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री स्वः श्री दयानन्द तिवारी निवासी बी-64 हनुमान नगर वैशाली नगर जयपुर हुँ। मेरे कब्जे काश्त की लगभग 18.5 बिघा एवं मेरे परिजनो एवं मित्र समेत कुल 72 बीघा जमीन ग्राम बगावदा उप तहसील खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है। इस जमीन के बीच में लगभग 18 बीघा सिवायचक जमीन भी है।जिसकी मैं वर्ष 2017 से जुमार्ना रसीद राजस्व विभाग में जमा करवा रहा हुँ। श्रीमान जी उपरोक्त कुल 90 बीघा जमीन पर मै एवं मेरे परिजन 2017 से खेती कर रहे हैं एवं उनका नामान्तरण भी हमारे नाम पर खुला हुआ है। उपरोक्त जमीन के सीमाज्ञान के आदेश मई जून 2024 से ही नायब तहसीलदार खातौली द्वारा किया गया है। लेकिन संबधित हल्का पटवारी सीमाज्ञान नही कर रहा है एवं सीमाज्ञान के रिश्वत के रूप में 50,000/-(पचास हजार) रूपये मांग रहा है। मैं रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहता हूं, अतः उक्त पटवारी प्रधान चौधरी को रिश्वत लेते हुए ट्रेप करवाना चाहता हूँ। मेरी प्रधान चौधरी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है ना ही कोई लेनदेन बकाया है इत्यादि। परिवादी सेमजीद दरयाफ्त किया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताते हुऐ प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये व बताया कि रिश्वती राशि की बातचीत मुझसे प्रधान चौधरी पटवारी जी करेगे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं मजीद दरयाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से समयः-03.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने चेम्बर मे बुलाया व उनके सामने कुर्सी पर बैठे हुये परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी से मन् पुलिस निरीक्षक का परिचय करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया। अतः मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मय परिवादी के स्वयं के चेम्बर मे आया व परिवादी से नाम पता व प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध मे दरयाफ्त किया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य ही दोहराये। प्रार्थना पत्र से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जायेगा। समय 04.15 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी ने अवगत कराया कि आरोपी से वाट्सअप पर उसके नंबरों पर हुई मोबाइल वार्ता अनुसार आरोपी द्वारा मुझे कल दिनांक 19.09.2025 को खातौली उसके कार्यालय में बुलाया है। वह मेरे से कल ही रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। अतः परिवादी को दिनांक 19.9.2025 को सुबह 07 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने एवं कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु समझाइश कर रूखसत किया गया। परिवादी द्वारा अवगत कराये गये अनुसार कल दिनांक 19.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही की संभावना को दृष्टिगोचर रखते हुए श्री लालचंद कानि 30 को मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के नाम पत्र क्रमांक 520 दिनांक 18.09.2025 जारीशुदा किया जाकर गवाह तलवी हेतु मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के कार्यालय में रवाना किया। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम जारी पत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के पत्रांक 7652 दिनांक 18.09.2025 से गवाह विजय कुमार मालव एलटी एवं अक्षय कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक को हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। आमदा उक्त दोनों गवाहान को दिनांक 19.09.2025 को 07.30 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया गया । दिनांक 19.09.2025 समयः-7.00 ए.एम. पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी उपस्थित कार्यालय आया व बताया कि आरोपी पटवारी ने मुझे रिश्वत के संबंध में वार्ता हेतु आज ही 10 एएम तक बुलाया है, जो आज ही मेरे से रिश्वत राशि भी प्राप्त कर सकता है। इस पर कार्यालय मे उपस्थित श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी का परिचय करवाया जाकर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं नया मेमोरी कार्ड निकलवाकर मेमोरी कार्ड डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रखा जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मेमोरी कार्ड मोड पर किया जाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चलाने व बन्द करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर रूबरू गवाहान श्री लालचंद कानि. 30 एवं श्रीमती सरोज महिला हैड कानि. 81 के समक्ष परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी को सुपुर्द किया गया। फर्द सुपुर्दगी पृथक से मूर्तिब की गई, एवं परिवादी को सत्यापन हेतु मय भूपेन्द्र कानि के स्वयं के वाहन से खातौली रवाना किया व कानि को हिदायत की गयी कि यथासंभव परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को यथासंभव देखने व सुनने का प्रयास करें।

समयः- 08.00 एएम पर पाबंदशुदा गवाह श्री विजय मालव पुत्र श्री राजेन्द्र मालव जाति धाकड उम्र 28 साल निवासी देवनारायण मंदिर के पास बडा सोगरिया जिला कोटा हाल लेब टेक्निशियन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री अक्षय कुमार शर्मा पुत्र स्वः श्री राकेश कुमार शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 साल निवासी 17/55 गन्धी जी की पुल ब्रजराजपुरा कोटा। हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] उपस्थित कार्यालय आये जिनको परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं होने वाली संभावित ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने हेतु सहमति चाही तो दोनों गवाहों ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर कार्यवाही में गवाह बनने की सहमति देते हुए प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। सरकारी वाहन थार जीप कार्या0 एसीबी चौकी इन्टे0 कोटा से तलब किया जो कार्या0 पर आने पर कार्या0 हाजा के ड्राइवर श्री घनश्याम कानि चालक 609 के सुपुर्द किया गया तथा तलविदा प्राइवेट वाहन ही उपस्थित कार्यालय आया। समय 08.40 एएम पर चुंकि परिवादी श्री दिलीप कुमार व कानि भूपेन्द्र सिंह को आरोपी से सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया जा चुका है, तथा परिवादी ने आज ही आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की संभावना व्यक्त की गयी थी अतः मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता श्रीमती सरोज हैड कानि 81, श्री मुकेश कुमार हैड कानि 85, श्रीमती कीर्ति चौधरी म.कानि, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय, ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री तथा फिनाप्थलीन पावडर की शीशी प्राइवेट वाहन के डेश बोर्ड में रखवाकर प्राईवेट वाहन से एवं श्री किशन लाल उनि मय श्री मोहित चंदेल निजी सहायक, श्री करण सिंह सहा. प्रशासनिक अधिकारी सरकारी जीप थार मय चालक घनश्याम चालक 609 के इटावा खातौली रवाना हुआ। समयः- 11.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता मय गवाहान प्राइवेट वाहन से एवं दिगर जाब्ता सरकारी वाहन से इटावा से खातौली आने वाले बाइपास पर गोपनीय स्थान पर मुकीम हुए एवं परिवादी के हमराह कानि भूपेंद्र सिंह से वार्ता कर जानकारी चाही तो भूपेंद्र सिंह कानि ने बताया कि हाल पटवारी परिवादी से नहीं मिला है आप लोग इटावा मे ही रूक जाओ, जैसे भी स्थिति होगी हम आपको आकर सूचित कर देंगे। अतः मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता के मुकीम हुआ। समयः- 01.40 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी मय कानि. श्री भूपेंद्र सिंह कानि. के स्वयं के वाहन से गोपनीय स्थान इटावा से खातौली रोड पर आया एवं डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में देकर परिवादी ने बताया कि मैं कानि. भूपेद्र को लेकर उप तहसील खातौली गया, जहां तहसील के सामने गापेनीय स्थान पर मैंने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था। मैं तहसील के अंदर गया तब भूपेंद्र जी मेरे से थोडी दूरी पर थे, मैनें पटवारी श्री प्रधान चौधरी से मेरी व मेरे परिवारजनों की भूमि के सीमाज्ञान के संबंध में वार्ता की उसके बाद रिश्वत राशि 50 हजार के संबंध में वार्ता की, वार्ता के दौरान मैंने 05 हजार रूपये प्रधान चौधरी को दे दिये थे। मैंने शेष राशि के संबंध में वार्ता की तो पटवारी ने बताया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, दीपावली के आसपास मैं आपको फोन करके बता दूंगा, इस पर मैंने कहा कि सीमाज्ञान में और भी लोग आपके साथ रहेंगे, जिनको आप ही देख लेना तो उसने कहा कि ठीक है। मेरे व पटवारी के मध्य हुई समस्त वार्ता आप द्वारा दिये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद मैं तहसील से बाहर आया व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बंद कर लिया था, उक्त सारी बात मैंने भूपेंद्र जी को भी बता दी थी, इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि भूपेंद्र सिंह से भी वार्ता की तो कानि भूपेन्द्र ने भी परिवादी द्वारा बताये कथनों की ताईद की। तदुपंरात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रखे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी व कानि द्वारा बताये कथनों की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। फर्द प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। हमराह साथ आये दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी से करवाया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, मय जाब्ता व गवाहान मय प्राइवेट व सरकारी वाहन से रवाना हो गोपनीय स्थान खातौली वाईपास पहुंचा व अग्रिम कार्यवाही मे व्यस्त हुआ। समयः- 02.30 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी व आरोपी श्री प्रधान चौधरी के मध्य आज दिनांक 19.09.2025 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से रिकॉर्ड वार्ता को सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी प्रधान चौधरी की होना पहचान किया। इस पर रूबरू गवाहान मुर्न्दजा फर्द व परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भूपेंद्र सिंह कानि. 292 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः-03.30 पीएम पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि आरोपी द्वारा दीपावली के आसपास लेने व फोन कर बुलाने हेतु अवगत करवाया है। अतः परिवादी को आरोपी से रिश्वत राशि लेने के संबंध में वार्ता होने पर कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाने हेतु समझाइश कर रूखसत किया गया व मन पुलिस निरीक्षक मय हमराह जाब्ता, गवाहान मय प्राइवेट व सरकारी वाहन से कोटा हेतु रवाना हुआ। समयः-05.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षम मय जाब्ता, मय गवाहान मय प्राइवेट व सरकारी वाहन से कोटा पहुँचा। संपूर्ण हालात अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किया । डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं की आलमारी में सुरक्षित रखा। दोनों स्वतंत्र गवाहानों को तलवी पर उपस्थित कार्यालय आने हेतु पाबंद कर रूखसत किया। दिनांक 14.10.2025 समयः-05.00 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी उपस्थित कार्यालय आया व मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि मेरी आज पटवारी श्री प्रधान चौधरी

से उसके मोबाइल पर जरिये वाट्सअप कॉल पर बात हुई है। उसने मुझे कल सुबह सवा दस बजे करीब शेष रिश्वत राशि 45 हजार रूपये लेकर उप तहसील खातौली अपने कार्यालय में बुलाया है। वह मेरे से कल रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। समयः- 05.15 पीएम पर इस समय परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर दिनांक 15.10.2025 को समय 07 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु समझाइश कर रूखसत किया गया। समयः- 05.30पीएम पर पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 15.10.2025 को 07 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु जरिये कानि श्री लालचंद 30 से मोबाइल पर पाबंद करवाया गया। समयः- 05.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु कार्यालय श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज, कोटा से जाब्ता श्री मोहित चंदेल निजी सहायक, श्रीमती मीनाक्षी हाड़ा म.कानि 278 एवं कार्यालय भनिब्यूरो, इन्टे0 कोटा को अपना सरकारी वाहन जीप थार को 07 एएम तक कार्यालय हाजा में भिजवाने हेतु पाबंद किया गया एवं कार्यालय हाजा में पदस्थापित समस्त जाब्ता को भी 07.00 एएम पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 15.10.2025 समय 06.45 एएम पर कार्यालय हाजा में पदस्थापित समस्त जाब्ता पाबंदशुदा उपस्थित कार्यालय आया एवं श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो, कोटा रेंज, कोटा कार्यालय से श्री मोहित चंदेल निजी सहायक एवं श्रीमती मीनाक्षी हाड़ा म.कानि. 278 पाबंदशुदा उपस्थित कार्यालय आये जिनकी आमद दर्ज की गयी। समयः- 06.50 एएम पर कार्यालय इन्टे0 भ्रनिब्यूरो, कोटा से सरकारी वाहन जीप थार को श्री महेंद्र सिंह ड्राइवर लेकर उपस्थित कार्यालय आया इस पर वाहन थार जीप को श्री घनश्याम चालक 609 के जिम्मे किया गया व श्री महेन्द्र सिंह चालक को जाए तैनाती रवाना किया गया। समयः- 07.00 एएम पर पाबंदशुदा परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी उपस्थित कार्यालय आया व अवगत कराया कि मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 45 हजार रूपये की व्यवस्था करके ले आया हूं। अतः परिवादी की आमद दर्ज की गयी। समयः- 07.15 एएम पर पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह श्री विजय मालव हाल लेब टेक्निशियन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। 2. श्री अक्षय कुमार शर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा तलविदा उपस्थित कार्यालय आये जिनकी आमद दर्ज की गई। समयः- 07.30 एएम पर रूबरू गवाहान श्री विजय मालव पुत्र श्री राजेन्द्र मालव जाति धाकड उम्र 28 साल निवासी देवनारायण मंदिर के पास बडा सोगरिया जिला कोटा हाल लेब टेक्निशियन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। मोबाईल नम्बर [redacted] एवं श्री अक्षय कुमार शर्मा पुत्र स्वः श्री राकेश कुमार शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 साल निवासी 17/55 गन्धी जी की पुल ब्रजराजपुरा कोटा। हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा। मोबाईल नम्बर [redacted] के समक्ष परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी ने आरोपी प्रधान चौधरी पटवारी हल्का बगावदा तहसील पीपल्दा को दी जाने वाली रिश्वत राशि में दिए जाने वाले भारतीय मुद्रा के 500-500 के 90 नोट कुल 45,000 रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये। नोटो के नम्बर इस प्रकार है-S.NO. नोट का प्रकार नोट क्रमाकं1. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429012. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429023. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429034. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429045. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429056. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429067. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429078. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH6429089. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64290910. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291011. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291112. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291213. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291314. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291415. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291516. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291617. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291718. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291819. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64291920. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292021. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292122. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292223. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292324. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292425. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292526. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292627. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292728. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292829. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64292930. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293031. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293132. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293233. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293334. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293435. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293536. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293637. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293738. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293839. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64293940. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294041. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294142. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294243. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294344. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर

6CH64294445. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294546. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294647. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294748. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294849. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64294950. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295051. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295152. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295253. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295354. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295455. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295556. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295657. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295758. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295859. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64295960. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296061. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296162. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296263. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296364. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296465. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296566. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296667. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296768. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296869. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64296970. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297071. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297172. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297273. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297374. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297475. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297576. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297677. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297778. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297879. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64297980. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298081. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298182. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298283. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298384. एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298485- एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298586 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298687 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298788 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298889 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH64298990 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बर 6CH642990श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, कोटा रेंज, कोटा से कार्यालय के मालखाना में रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भली भांति इस प्रकार लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। स्वतंत्र गवाह श्री विजय मालव से परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात एक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति इस फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिष्वत राशि के नोटों को अपने हाथों से प्राप्त करेगा अथवा छुयेगा तो उसके हाथों को इस प्रकार सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा जिससे यह सुस्पष्ट होगा कि आरोपी/संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण की गई है। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे, आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटो को अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कर्ता अधिकारी मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. [redacted] पर कॉल कर रिश्वती राशि ग्रहण करने का इशारा करें। इसके बाद डिस्पोजल गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। नोटो पर पाउडर लगाने मे काम मे लिये गये अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया । श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। कार्यवाही में काम मे आने वाली कांच की शीशियों मय ढक्कन को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि यथासंभव परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखे व वार्ता को सुनने का प्रयास करे। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गईतथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी से वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करें। श्रीमती मीनाक्षी महिला कानि. 278 को कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गयी। फर्द पेशकशी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः- 08.05 एएम पर

परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी को मय कानि. भूपेन्द्र सिंह के परिवादी के वाहन से, मन पुलिस निरीक्षक मय.दोनों स्वतंत्र गवाह व जाब्ता श्रीमती सरोज हैड कानि., श्री मोहित चंदेल निजी सहायक के एवं श्री किशन उ.नि. मय श्री राजेन्द्र कुमार कानि. व करण सिंह सहा. प्रशा0 अधिकारी के आमदा सरकारी थार जीप से ट्रेप कार्यवाही हेतु खातौली रवाना हुए। ट्रेप में काम आने वाली सामग्री यथा ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिंटर इत्यादि साथ में लिये गये। समयः-10.02 एएम मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम के मय सरकारी व प्राइवेट वाहन एवं परिवादी मय कानि. स्वयं के वाहन से खातौली से करीब 01 किमी पहले गोपनीय स्थान पर पहूंचे, एवं मुकीम हुए। समयः- 10.05 एएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी से आरोपी श्री प्रधान चौधरी का लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाइल से आरोपी प्रधान चौधरी के मोबाइल पर वाट्सअप कॉल करवाया तो आरोपी श्री प्रधान चौधरी ने बताया कि मैं थोडी देर में उप तहसील में आ रहा हूं, आप वहीं पहुचो। उक्त वार्ता को मोबाइल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समयः- 10.10 एएम पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर मय कानि. भूपेंद्र सिंह के उप तहसील खातौली हेतु स्वयं के वाहन से रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व हमराह जाब्ता के प्राइवेट व सरकारी वाहन से परिवादी के पीछे-पीछे उप तहसील हेतु रवाना हुए। समयः-10.15 ए.एम. पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी उप तहसील खातौली के सामने अपने वाहन से आकर रूका, जिसे रिश्वत राशि आरोपी को देने हेतु उप तहसील हेतु रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ट्रेप टीम के उप तहसील के सामने आम रोड पर अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकीम हुए। समय 10.32 एएम पर परिवादी का इशारा प्राप्त होने पर मौके पर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात समय 11.25 एएम पर कैम्प पुलिस थाना खातौली पर फर्द जब्ती मुर्तिब की कार्यवाही शुरू की गई कि- समय 10.32 एएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री दयानंद तिवारी, जाति ब्राहमण, उम्र 56 वर्ष, निवासी बी-64 हनुमान नगर, सिरसी रोड वैशाली नगर जयपुर ने कार्यालय उप तहसील खातौली के मुख्य गेट के सामने खडे होकर पूर्व निर्धारित इशारा स्वंय के मोबाईल से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद किया एवम् सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक व टीम को बताया कि आरोपी प्रधान चौधरी ने उप तहसील से बाहर आकर मेरे निजी वाहन में पीछे की सीट पर बैठकर रिश्वत राशि 45,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की दाहिनी जेब में रखकर उप तहसील के अंदर गया है। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री दिलीप कुमार तिवारी को हमराह लेकर मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के उप तहसील में प्रवेश कर ग्राउंड फलोर में आरोपी पटवारी की तलाश की जो ग्राउंड फलोर के किसी रूम में नहीं मिला। मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व ट्रेप टीम के सीढ़ियों से उप तहसील के प्रथम तल पर ऊपर जाने हेतु रवाना हुआ जहां सीढ़ियां खत्म होती है उसी जगह पर आरोपी प्रधान चौधरी नीचे आता हुआ मिला, जिसे देखकर परिवादी ने कहा कि यही प्रधान चौधरी पटवारी है, जिसने अभी अभी मेरे से मेरी गाडी में बैठकर 45 हजार रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की है। मन् पुलिस निरीक्षक ने मय स्वतंत्र गवाहान के उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तो उक्त व्यक्ति एकदम से घबराकर पसीना पसीना हो गया। जिनको तसल्ली देकर उनसे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री प्रधान चौधरी पुत्र श्री कालूराम जाति जाट उम्र 31 साल निवासी खरबासों की ढाणी निमेडा थाना भांकरोटा जिला जयपुर हाल हल्का पटवारी कैथुदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा होना बताया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री प्रधान चौधरी से परिवादी श्री दिलीप तिवारी की तरफ ईशारा करते हुये प्रधान चौधरी पटवारी से पूछा कि अभी-अभी आपने दिलीप तिवारी से 45,000/- रूपये रिश्वत राशि किस कार्य हेतु प्राप्त की है। इस पर प्रधान चौधरी ने बताया कि मैनें दिलीप कुमार से कोई रिश्वत नहीं मांगी ना ही मैंने इनसे रिश्वत राशि प्राप्त की है यह मेरे को झूठा फंसाने चाहते हैं, इस पर पास ही खडे परिवादी श्री दिलीप कुमार ने बताया कि मेरी व मेरे परिवार जनों की ग्राम बगावदा पटवार हल्का कैथूदा में करीब 72 बीघा जमीन खातेदारी व करीब साढे 18 बीघा जमीन कब्जे की है जिसका सीमाज्ञान करवाने के आदेश मई-जून 2024 से ही हो रखे हैं लेकिन यह सीमाज्ञान नहीं कर रहे थे व सीमाज्ञान करने की एवज में मेरे से 50 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैंने आपकी चौकी पर दिनांक 18.09.2025 को की जिस पर दिनांक 19.09.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो इन्होंने मेरे से सत्यापन के दौरान 5 हजार रूपये प्राप्त किये थे व 45 हजार रूपये बाद में देने हेतु कहते हुए कहा था कि मैं आपको दीपावली के आसपास फोन कर दूंगा इस पर मेरी इनसे कल दिनांक 14.10.25 को जरिये वाट्सअप पर वार्ता हुई तो इन्होंने मेरे को आज दिनांक 15.10.2025 को रिश्वत राशि 45 हजार रूपये लेकर उप तहसील में बुलाया था। इस पर मैंने आपको आपके कार्यालय में जाकर सारी बात बतायी व आज रिश्वत में दी जाने वाली राशि 45 हजार रूपये आपको कार्यालय में पेश की थी जिस पर आप द्वारा पेशकशी व दृष्टांत की कार्यवाही करके रिश्वत में दी जाने वाली राशि मेरे को वापस लौटायी। इस पर मैं आपके कार्यालय से श्री भूपेन्द्र जी को साथ लेकर मेरे निजी वाहन से खातौली हेतु रवाना हुआ व रास्ते में इनसे बात की तो इन्होंने मुझे उप तहसील खातौली बुलाया था इनसे हुई मोबाइल वार्ता अनुसार मैं उप तहसील के सामने मेरे निजी वाहन से आया तो यह मेरी गाडी के पास आये व अपने कार्यालय में चलने हेतु कहा मैंने मना किया तो यह मेरी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बैठ गये, इस पर इनसे सीमा ज्ञान के संबंध में बात की थी। इन्होंने सीमाज्ञान करने की एवज में मेरे से 45

हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करके अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की दाहिनी जेब में रखकर यह उप तहसील के अंदर आ गये थे, इस पर मैंने आपके मोबाइल पर कॉल किया तो आप मय ट्रेप टीम के आये व पटवारी को तलाश करते हुये सीढ़ियों पर आये तो आरोपी पटवारी अभी ऊपर से आते हुये सीढ़ियों पर मिले हैं। इस पर हमराह जाब्ता में से आरोपी श्री प्रधान चौधरी का बायां हाथ कलाई के उपर से श्री राजेन्द्र कानि एवं दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री मोहित चंदेल निजी सहायक से पकड़वाया गया।चूंकि परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी के कहेअनुसार आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी पटवार हल्का कैथुदा द्वारा परिवादी से 45,000/-रू बतौर रिश्वत प्राप्त कर अपनी पेंट की जेब में रखने का उचित संदेह है। इसलिये आरोपी से रिश्वत राशि के बाबत पुनः पूछा गया तो आरोपी ने पुनः बताया कि मैंने इनसे कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है। इस पर पास ही खडे परिवादी ने पुनः दोहराया कि यह झूठ बोल रहा है इसने मेरी गाड़ी में बैठकर 45 हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जींस की पेंट की दाहिनी जेब में रखकर ही उपर आया था। यह व्यक्ति पूर्व में पुलिस में नौकरी कर चुका है व बहुत शातिर है इसलिये यह जान बूझकर मेरे से प्राप्त किये गये रिश्वत राशि 45 हजार रूपये बरामद नहीं करवा रहा है इस पर गवाह श्री विजय मालव से श्री प्रधान चौधरी पटवारी की तलाशी लिवाई गयी तो उसके पास प्राप्त की गयी रिश्वत राशि दस्तयाब नहीं हुई, चूंकि परिवादी श्री दिलीप कुमार ने आरोपी श्री प्रधान चौधरी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु बार-बार दोहराया है तथा आरोपी श्री प्रधान चौधरी भी ट्रेप टीम को देखकर घबराकर पसीना पसीना हो रहा है। इसलिए रिश्वत राशि परिवादी से आरोपी द्वारा ग्रहण करने का युक्तियुक्त पूर्ण संदेह होने से आरोपी को हमराह लेकर उप तहसील खातौली के प्रथम फलोर पर स्थित रसाई घर, मीटिंग हॉल, स्टोर रूम, रिकॉर्ड रूम व स्वयं के रेस्ट रूम में हमराह जाब्ता व गवाहान की सहायता से रिश्वत राशि की तलाश की, नहीं मिलने पर पुनः तसल्ली देकर आरोपी प्रधान से रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर पुनः आरोपी द्वारा रिश्वत राशि नहीं लेना बताया। इस पर आरोपी, गवाहान एवं ट्रेप टीम के सदस्यों के हमराह रिश्वत राशि की तलाश करते हुये प्रथम फलोर पर बने पेशाब घर में पहुंचे व तलाश शुरू की तो पेशाबघर में बनी लेट्रिन जिसमें वेस्टर्न सीट लगी हुई थी। वेस्टर्न सीट का ढक्कन उठाकर देखा तो सफेद रंग की वेस्टर्न सीट के अंदर कमोड में पांच-पांच सौ रूपये के नोटों की गड्डी दिखाई दी जो कमोड के अंदर भरे घास-फूस के ऊपर पड़ी हुई थी देखने से यह साफ प्रतीत हो रहा था कि उक्त टॉयलेट काफी समय से उपयोग में नहीं आ रहा है। इस पर गवाह श्री विजय मालव से वेस्टर्न सीट के कमोड में पड़ी हुई नोटों की गड्डी उठवाई जाकर पांच-पांच सौ रूपये के नोट को गवाह श्री विजय मालव से गिनवाया गया तो पांच-पांच सौ रूपये के कुल 90 नोट होना बताया। इस पर फर्द पेशकशी गवाह श्री अक्षय शर्मा को दी जाकर नोटों का मिलान पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरों से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने बरामदशुदा नोटों के नंबरों का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नंबरों से कर बताया कि यह वही नोट हैं जिन पर कार्यालय में फिनोफ्थिलीन पाउडर लगाया था। नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किए। रिश्वती राशि के बरामद नोट गवाह श्री विजय मालव के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपनी पेंट की जेब में रखना स्पष्ट हुआ है। इसलिये आरोपी की हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी है। इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना खातौली में बैठकर ट्रेप कार्यवाही संपादित करने हेतु श्री आरोपी श्री प्रधान चौधरी के दाहिने हाथ को श्री मोहित चंदेल निजी सहायक एवं बायें हाथ को राजेन्द्र कानि द्वारा पूर्व से पकडी हुई स्थिति में साथ लेकर उप तहसील के प्रथम फलोर से उतारकर मय टीम उप तहसील से बाहर आये व आरोपी के दोनों हाथ उपरोक्तानुसार पकड़ी हुई स्थिति में प्राइवेट वाहन में बिठाया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक आरोपी को हमराह लेकर मय शेष जाब्ता के रवाना होकर समय 11.20 एएम पर थाना खातौली पहुंच थाना इंचार्ज श्री भंवर लाल सहायक उप निरीक्षक को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु कमरा उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया तो उनके द्वारा थाने पर बैठकर कार्यवाही करने की सहमति देते हुए थानाधिकारी का कार्यालय कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी व गवाहान एंव जाप्ता तथा डिटेनशुदा प्रधान चौधरी पटवारी को गाड़ी में से उतारकर थानाधिकारी के कक्ष में लाया एवं व हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। थाना परिसर में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया गया। बोतल से दो साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के रंग को अपरिवर्तित होना बताया। आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे पृथक पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क आर एच-1, आर एच-2 अंकित किया गया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिसे भी पृथक-पृथक दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क एल एच -1, एल एच-2 से अंकित किया। रिश्वत राशि को आरोपी द्वारा परिवादी से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब में रखना स्पष्ट होने से पेंट की जेब की धुलाई करना आवश्यक है अतः आरोपी श्री प्रधान चौधरी के पहनने हेतु पायजामा मंगवा कर आरोपी को पहनने हेतु दिया गया जिसने अपने पेंट उतारकर पायजामा पहनते हुये पेंट मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की इसके पश्चात एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब को

उलटकर गिलास में बने घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंगगुलाबी हो गया, धोवन को पृथक-पृथक दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट करा पी-1 व पी-2 अंकित किया। पेन्ट की जेब को सुखाकर जेब को पैन से मार्क कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर शील्ड पैकिट को मार्क पी दिया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया व सील्ड पेकेट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय उप तहसील खातौली के प्रथम फलोर की वेस्टर्न लेट्रिन के कमोड में से बरामद हुई रिश्वत राशि जो गवाह विजय मालव के पास सुरक्षित रखवायी गयी थी को गवाह से प्राप्त कर रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 90 नोट कुल 45 हजार रूपये को एक पीले रंग के लिफाफे में रखा जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य ट्रेप कार्यवाही से पूर्व मोबाइल पर रिश्वत लेकर आने के संबंध में वार्ता होना पाया गया है इसलिये आरोपी श्री प्रधान चौधरी द्वारा उपयोग में लिया गया मोबाइल वन प्लस कंपनी का आईएमईआई नंबर प्रथम [redacted] आईएमईआई नंबर द्वितीय [redacted] व रंग दुधिया जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम नंबर [redacted] रखी हुई है को कब्जे ब्यूरो लिया जाकर मोबाइल पर पीछे की तरफ चिट चस्पा किया गया। परिवादी के पेण्डिंग वर्क से सम्बन्धित सीमाज्ञान आदेश इत्यादि की प्रमाणित प्रतियां पृथक से प्राप्त की जायेगी। ट्रेप कार्यवाही व बरामदगी के दौरान श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से सरकारी मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड लगवाकर मोबाइल को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही व बरामदगी की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही से श्री प्रधान चौधरी पटवारी पटवार हल्का कैथूदा उप तहसील खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी व उसके परिवारजनों के नाम ग्राम बगावदा में स्थित खातेदारी व कब्जे की भूमि का सीमाज्ञान करने की एवज में परिवादी से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना, दौराने सत्यापन 5000 रूपये प्राप्त कर यह कहना कि शेष रिश्वत राशि के संबंध में मैं आपको दीपावली के आसपास फोन कर दूंगा कहना, रिश्वत राशि 45 हजार रूपये परिवादी से आरोपी द्वारा प्राप्त कर उप तहसील खातौली भवन के प्रथम तल के वेस्टर्न लेट्रिन के कमोड से बरामद होना, आरोपी के बायें व दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी द्वारा पहनी हुई जींस के पेंट की दाहिनी जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री प्रधान चोधरी पटवारी पटवार हल्का कैथुदा उप तहसील खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा के विरुद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री प्रधान चौधरी की गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जावेगी।.फर्द नियमानुसार मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों को पढ़ कर सुनाई गई सभी ने सुन, समझ सही होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। समयः-03.05 पीएम पर इस समय आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी, पटवार हल्का कैथूदा का सेवा विवरण चाहने हेतु दस्ती पत्रांक -स्पेशल 01 दिनांक 15.10.2025 तहसीलदार पीपल्दा के नाम तैयार किया जाकर पत्र की दो प्रतियां श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को सुपुर्द कर तामील के निर्देश दिए गए। समयः-03.10 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी के पेण्डिग कार्य संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली प्रमाणित प्रतियां चाहने हेतु दस्ती पत्रांक -स्पेशल 02 दिनांक 15.10.2025 तहसीलदार पीपल्दा के नाम तैयार किया जाकर पत्र की दो प्रतियां श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को सुपुर्द कर तामील के निर्देश दिए गए। समयः-03.15 पीएम पर श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल जी शर्मा कार्यवाही में सुपरविजन हेतु केम्प स्थल थाना खातौली पर पधारे, जिन्होंने कार्यवाही हाजा में ट्रेप कार्यवाही संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान फरमाऐं। परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी एवं उसके परिवारजनों की ग्राम बगावदा में स्थित भूमि के सीमाज्ञान आदेश, टीम गठन आदेश इत्यादि की वर्ष 2024 से आज दिनांक तक पेण्डिग कार्य संबंधी संपूर्ण आदेशों की प्रमाणित प्रतियां चाहने हेतु दस्ती पत्रांक -स्पेशल 02 दिनांक 15.10.2025 तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा के नाम तैयार किया जाकर पत्र की दो प्रतियां श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 को सुपुर्द कर तामील के निर्देश दिए गए। समय 03.20 पी.एम. पर आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी पटवार हल्का कैथूदा एवं परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी के मध्य दिनांक 19.09.2025को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाइल वार्ता दिनांक 15.10..2025 व रिश्वत लेन देन वार्ताको दिनांक 15.10.2025 को जो सरकारी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं में आरोपी की आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाए जाने हेतु आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी की अपनी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी द्वारा दस्ती मूल नोटिस पर ही अपने हस्तलेख से लिख कर दिया कि-"महोदय मैं मेरी आवाज का स्वेच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूं" अतः नोटिस मय जवाब शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.45 पीएम पर रूबरू गवाहान मुन्दंजा फर्द आरोपी श्री प्रधान चौधरी पुत्र श्री कालूराम चौधरी जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी खरबासों की ढाणी निमेडा थाना भांकरोटा जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का कैथुदा उप तहसील खातौली, तहसील पीपल्दा जिला कोटा को मन् पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर चैक लिस्ट तैयार की गयी। चैक लिस्ट में वर्णित कारणों से आरोपी को ट्रेप कार्यवाही में हस्व कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरों लिया गया। आरोपी की जामातलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अक्षय कुमार शर्मा से लिवाई गई तो आरोपी के पास कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के भाई श्री रोहिताश चौधरी को मो.न.

[redacted] पर दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.15 पीएम परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी से आरोपी श्री प्रधान चौधरी के मोबाइल पर मध्य आज दिनांक 15.10.2025 को समय 10.08 एएम पर करवाई गई वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान एवं आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान व आरोपी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भूपेंद्र सिंह कानि. 292 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समयः- 04.30 पीएम पर परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी एवं आरोपी श्री प्रधान चौधरी के मध्य दौराने रिश्वत लेन देन वार्ता जिसे डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को सरकारी लेपटोप में लगाकर परिवादी व दोनों गवाहान एवं आरोपी को सुनाया गया। परिवादी ,गवाहान व आरोपी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री भूपेंद्र सिंह कानि. 292 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस समय श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा बाद दिशा-निर्देश रवाना हुए। समयः- 05.15 पीएम इस समय श्री राजेंद्र कानि 279 को आरोपी का सेवा विवरण एवं परिवादी पेण्डिग कार्य से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाहने हेतु तहसीलदार पीपल्दा के नाम पत्र देकर रवाना किया गया था, जो उक्त दोनों पत्रों पर उप तहसील खातौली तहसीलदार पीपल्दा से रशीद प्राप्त कर लाया। दोनों पत्र बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किये गये। समयः- 05.20 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के बरामदगी स्थल उप तहसील खातौली नक्शा मौका मुर्तिब हेतु प्राइवेट वाहन से रवाना हुआ। गिरफ्तारशुदा आरोपी को निगरानी हेतु श्री किशनलाल उ.नि व जाब्ता सुपुर्द किया गया। समयः-06.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर वापस केम्प थाना खातौली आया। पुनः कार्यवाही में व्यस्त हुआ। समयः- 07.30 पीएम पर कार्यालय नायब तहसीलदार खातौली के पत्रांक 912 दिनांक 15.10.2025 के संलग्न परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी के पेण्डिग कार्य से संबंधित पत्रादि कुल 39 वर्क जरिए डाक प्राप्त हुए जिन्हें बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.00 पीएम पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी, पटवार हल्का कैथूदा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु तहरीर दी जाकर श्री राजेन्द्र कमार कानि. 279 को मय सरकारी जीप मय चालक श्री घनश्याम कानि. 609 को सीएचसी, खातौली रवाना किया गया। समय 08.05 पीएम पर दिनांक 19.09.2025 को परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी एवं आरोपी श्री प्रधान चौधरी पटवारी पटवार हल्का कैथुदा के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 15.10.2025 को परिवादी दिलीप कुमार तिवारी व आरोपी श्री प्रधान चौधरी के मध्य लोकेशन जानने हेतु हुई मोबाइल वार्ता एवं आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 15.10.2025 हुई रिश्वत लेन देन वार्ता, को डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डीवीआर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को निकालकर अन्य उपकरण (कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप में उक्त वार्ताओं की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर पृथक से निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर 03 पैन ड्राईव तैयार करवाये गये। उक्त पैन ड्राईव में से 01 पैन ड्राईव आरोपी के लिए एवं 01 पैन ड्राईव एफएसएल से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग-अलग कपडे की थैली में रखे जाकर सील मोहर किए गए, एवं कपडे की थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनशील्ड रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मुल मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08.25 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही सरकारी मोबाइल में नया मेमोरी कार्ड लगाकर मोबाइल को मैमोरी कार्ड मोड पर लिया जाकर ट्रेप कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से करवाई गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड को अन्य उपकरण (कार्ड रीडर) में लगाकर कार्यालय के सरकारी लैपटॉप से उक्त वीडियो रिकॉर्डिंग में उपलब्ध समस्त 02 क्लिपिंग की पृथक-पृथक हैश वैल्यू की गणना कर हैश वैल्यू पृथक से निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तथा मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड क्लिपिंग का 01 पैन ड्राईव तैयार करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड को बतौर वजह सबूत न्यायालय के लिए एक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए तथा पेनड्राइव को अनुसंधान अधिकारी हेतु अनशील्ड रखा गया। फर्द प्रतिलिपिकरण जब्ती पैन ड्राईव व मैमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 08.45 पीएम पर श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 मय सरकारी जीप मय चालक व गिरफ्तारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण सी.एच.सी. खातौली से करवाकर वापस आए । स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 11.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 मय आरोपी श्री प्रधान चौधरी मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से आरोपी के अस्थाई किराए के आवास खातौली रवाना हुआ। मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292, श्री राजेन्द्र कुमार कानि. 279 मय आरोपी श्री प्रधान चौधरी मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन से आरोपी के अस्थाई किराए के आवास खातौली की खाना तलाशी नियमानुसार फर्द मुर्तिब कर वापस कैम्प पुलिस थाना खातौली पहुंचा। खाना तलाशी के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग श्री भूपेन्द्र सिंह कानि. 292 से सरकारी मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड रखवाकर करवाई गई। दिनांक 16.10.2025 समय 12.05 एएम पर

आरोपी श्री प्रधान चौधरी के अस्थाई आवास किराए के मकान खातौली की खाना तलाशी के दौरान सरकारी मोबाइल में रखे मैमोरी कार्ड में करवाई गई वीडियो रिकॉर्डिंग के मैमोरी कार्ड को मोबाइल से निकालकर सफेद कपडें की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए। सील्डशुदा मैमोरी कार्ड फर्द खाना तलाशी के साथ माननीय न्यायालय में भिजवाया जायेगा। दिनांक 16.10.2025 समय 12.15 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराह जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रधान चौधरी, पटवारी एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्तशुदा आर्टिकल्स माल रिश्वती राशि 45,000/-रूपये का लिफाफा, सील्डशुदा धोवन सेम्पल मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, आरोपी की पेन्ट का सील्ड पैकिट मार्क-पी तथा मूल मैमोरी कार्ड-02, प्रतिलिपिकरण जब्त व सील्डशुदा पेनड्राईव-02, अनसील्ड पेनड्राईव-02 तथा खाना तलाशी की विडियोरिकॉर्डिंग से संबंधित जब्त व सील्डशुदा पैकिट सहित प्राईवेट व सरकारी वाहन से खातौली से कोटा के लिए रवाना तथा परिवादी को सकुशल रुकसत किया। समय 02.30 एएम पर कार्यालय आया। जब्तशुदा उक्त समस्त आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाए गए। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री प्रधान चौधरी पुत्र श्री कालूराम जाति जाट उम्र 31 साल निवासी खरवासों की ढाणी निमेडा थाना भांकरोटा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का कैथूदा तहसील पीपल्दा, उप तहसील खातौली कोटा द्वारा परिवादी श्री दिलीप कुमार तिवारी व उसके परिवारजनों के नाम ग्राम बगावदा में स्थित खातेदारी व कब्जे की भूमि का सीमाज्ञान करने की एवज में परिवादी से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग करना, दौराने सत्यापन दिनांक 19.09.2025 को 5000 रूपये प्राप्त कर यह कहना कि शेष रिश्वत राशि के संबंध में, मैं आपको दीपावली के आसपास फोन कर दूंगा कहना, रिश्वत राशि 45 हजार रूपये परिवादी से आरोपी द्वारा दिनांक 15.10.2025 को प्राप्त कर उप तहसील खातौली भवन के प्रथम तल के वेस्टर्न लेट्रिन के कमोड से बरामद होना, आरोपी के बायें व दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी द्वारा पहनी हुई जींस के पेंट की दाहिनी जेब का धोबन गुलाबी प्राप्त होना इत्यादि सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री प्रधान चोधरी पटवारी पटवार हल्का कैथुदा उप तहसील खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा के विरुद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतःसम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।(पृथ्वीराज)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.यू., कोटा...............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पृथ्वीराज,पुलिस निरीक्षक, ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी प्रधान चौधरी पुत्र कालुराम चौधरी, उम्र 31 साल निवासी खरबासो की ढाणी, निमेडा थाना भांकरोटा, जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल कैथुदा, उप तहसील खातौली तहसील पीपल्दा, जिला कोटा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा शहर, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 503 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1557-60 दिनांक 17-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- जिला कलक्टर, कोटा । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** ANISH AHMED **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1 0/2025 5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/06/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)